न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– कमर चौधरी
आई0ए0एस0

निगरानी सं0 01/2021

शिम्भूदयाल योगी पुत्र लालचंद योगी जाति योगी निवासी भंडान दरवाजा, खाती मौहल्ला, भाण्डारेज तहसील दौसा जिला दौसा

..... प्रार्थी

बनाम

1. मुरारी लाल योगी पुत्र लालचंद योगी जाति योगी निवासी मिठ्ठून फिलिंग स्टेशन पेट्रोल पम्प के पास, भाण्डारेज तहसील दौसा जिला दौसा
2. ग्राम पंचायत भांडारेज जरिये सचिव, ग्राम पंचायत भाण्डारेज तहसील दौसा

...अप्रार्थीगण

निगरानी अंतर्गत धारा 97 पंचायत अधिनियम विरूद्ध संकल्प संख्या 5 दिनांक 5.4.2007 एवं उक्त संकल्प के तहत दिनांक 5.4.2007 को अप्रार्थी संख्या 01 को जारी पट्टा निरस्त करने हेतु।

उपस्थित:
1. श्री विनोद कुमार विजय अधिवक्ता निगरानीकार
2. श्री अर्पण नागर, अधिवक्ता गैर निगरानीकार संख्या 01
3. श्री डी0एस0बैरवा, अधिवक्ता गैर निगरानीकार संख्या 02

निर्णय

07.09.2022

संक्षिप्त विवरण निगरानी अन्तर्गत धारा–97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत, भाण्डारेज पंचायत समिति दौसा द्वारा अप्रार्थी सं0 एक मुरारीलाल के पक्ष में पट्टा संख्या 14 दिनांक 5.4.2007 को जारी कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह निगरानी पेश की गई है।

निगरानी दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया गया। सर्वप्रथम प्रारंभिक आपत्ति पर अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। आपत्तिकर्ता मुरारीलाल योगी द्वारा प्रारंभिक आपत्ति पेश कर प्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टा आबादी भूमि का दिनांक 5.4.2007 को चुनौती दी गई है, जो कि एक रजिस्टर्ड दस्तावेज है, जिसको सिविल न्यायालय द्वारा उद्घोषणा के वाद से ही निरस्त किया जा सकता है। धारा 97 राजस्थान पंचायत अधिनियम के अंतर्गत एक रजिस्टर्ड दस्तावेज को निरस्त नहीं किया जा सकता है। न्यायालय श्रीमानजी को उक्त निगरानी का श्रवणाधिकार प्राप्त नहीं होने से निगरानी प्रथम दृष्ट्या ही निरस्त योग्य है। श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के समक्ष धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत पोषणीय नहीं है। निगरानीकार द्वारा उक्त निगरानी लगभग 14 वर्ष बाद प्रस्तुत की गई है। निगरानीकर्ता को प्रार्थी के पक्ष में पट्टा जारी होने की जानकारी प्रारंभ से ही रही है तथा उक्त निगरानी को 14 वर्ष बाद प्रस्तुत करने का उचित कारण भी निगरानीकार द्वारा अपनी निगरानी याचिका में नहीं बताया है। प्रारंभिक आपत्ति स्वीकार फरमाई जाकर निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जावे।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/निगरानीकर्ता की प्रारंभिक आपत्ति बहस दलील है कि दिनांक 5.4.2007 के पंचायत के फैसले व पट्टे के विरुद्ध निगरानी की गई उक्त पट्टा कार्यवाही व पंचायत की प्रोसीडिंग सरासर फर्जीवाडे की गैर कानूनी व जालसाजी पूर्ण

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:52:46 IST
Reason: SelfAttested

.....निरंतर 2 पर

गुपचुप में की गई है। जिसकी प्रार्थीगण को कतई जानकारी नहीं थी। जानकारी से अंदर मियाद निगरानी पेश की गई है। अवैध फर्जीवाडे की व गैर कानूनी वाईड एविनिश्यो कार्यवाही के विरुद्ध कानूनन कोई मियाद की बाधा नहीं होती है। इस बाबत उठाई गई आपत्ति निराधार व सारहीन है। आपत्तिकर्ता का यह कथन कतई गलत है कि रजिस्टर्ड पट्टा को सिविल न्यायालय सुन सकता है, सरासर गलत व निराधार है। पंचायत की प्रोसीडिंग्स, फैसला, व पट्टे के विरुद्ध निगरानी सुनने का न्यायालय श्रीमान् को श्रवणाधिकार प्राप्त है। जिससे प्राथमिक आपत्ति प्रथम दृष्ट्या ही सारहीन होने से खारिज योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र प्राथमिक आपत्ति सारहीन व बलहीन होने से इसी स्टेज पर खारिज फरमाई जावे व मूल निगरानी में सुनवाई की जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। प्रारम्भिक आपत्ति का अवलोकन किया गया। विचाराधीन प्रारम्भिक आपत्ति का मूल विषय वाद के क्षेत्राधिकार व उसमें हुई देरी का प्रश्न है। किंतु विद्वान अधिवक्ता प्रारम्भिक आपत्तिकर्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अनेक बिंदु उठाये गये है, जो कि विचाराधीन वाद की मैरिट से संबंधित है तथा जिनका विवेचन/निस्तारण निगरानी में ही किया जाना न्यायोचित है। यहॉ तो केवल मात्र इतना देखना है कि प्राथमिक स्तर में निगरानी चलने योग्य है अथवा नहीं किंतु इसके विपरीत अधिवक्तागण द्वारा आपत्ति के साथ-साथ कई अन्य बिंदु उठाये गये है। वर्तमान में उभय पक्ष की बहस एवं पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी/निगरानीकार को पंचायत के निर्णय के विरुद्ध असंतोष है। ऐसी स्थिति को देखते हुए मै इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि प्रकरण में प्रारंभिक आपत्ति पर ज्यादा विचार न किया जाकर निगरानी को मैरिट पर ही सुना जाना उचित होगा, जिससे प्रकरण के संबंध में गुणावगुण पर विचार किया जाकर निर्णय पारित किया जा सके। ऐसी स्थिति में गैर निगरानीकार संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्ति खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी सं0 एक मुरारीलाल द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्ति खारिज की जाकर मूल निगरानी में बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार की मूल निगरानी में बहस में दलील है कि निगरानीकार के परिवार का सजरा निम्नानुसार है:-

<u>लालचंद</u>

प्रभू पुत्र	मुरारी पुत्र	प्रहलाद पुत्र	शिम्भू पुत्र	विनोद पुत्र	दुर्योधन पुत्र	धर्मेन्द्र पुत्र	हंसा पुत्री

निगरानीकार के पिता एवं बुजुर्गो की निर्मित दुकानात मकान, नोहरा, बाडा, पाटोल, कमरा, चौक आदि ग्राम भाण्डारेज की आबादी में स्थित है। उक्त संपूर्ण संपत्ति प्रार्थी के पिता व बुजुर्गो की है एवं आज दिन तक उक्त संपत्ति लालचंद के समस्त वारियान जो उपर वर्णित है की है एवं उक्त संपूर्ण संपत्ति पर वारिसान का संयुक्त कब्जा है व बाहमी बंटवारे से रहवास करते चले आ रहे है। अप्रार्थी 1 सर्विस करता है एवं चालाक किस्म का व्यक्ति है। उसने बिना प्रार्थी व अन्य वारिसान की जानकारी में दिये बिना कानून के विपरीत तरीके से मिलीभगत से ग्राम पंचायत भाण्डारेज से दिनांक 5.4.2007 को संकल्प संख्या 5 पारित करवाकर और उक्त संकल्प के तहत लालचंद के समस्त वारिसान की संयुक्त संपत्ति में से विधि विरुद्ध तरीके से एक पट्टा 330 वर्गफीट का अपने

Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:52:46 IST
Reason: SelfAttested

.....निरंतर 3 पर

अकेले के नाम बनवा लिया जिसकी प्रार्थी व अन्य वारिसान को जानकारी नहीं थी। दिनांक 13.5.2020 को अप्रार्थी सं0 1 ने उक्त पट्टे के आधार पर उक्त पट्टे में वर्णित सम्पत्ति को विक्रय करने के बारे में बातचीत की तो प्रार्थी एवं अन्य वारिसान ने शामलाती की सम्पत्ति को बेचने में सहमति नहीं देने बाबत अवगत कराया तो अप्रार्थी सं. 1 ने धमकी दी कि मैने पट्टा बनवा रखा है तो प्रार्थी ने उक्त पट्टे की दिनांक 14.5.2020 को ग्राम पंचायत भाण्डारेज से नकल प्राप्त कर समस्त भाईयों को इकट्ठा किया तो अप्रार्थी संख्या 01 राजीनामा करने एवं उक्त पट्टे को निरस्त करवाने एवं संयुक्त सम्पत्ति का बंटवारा करने हेतु सहमत हो गया। उसके बाद प्रार्थी व अन्य भाईयों के द्वारा बार–2 कहने के बावजूद भी कोई न काई बहाना बनाकर टालता चला आ रहा है। दिनांक 01.02.2021 को अप्रार्थी संख्या 01 से प्रार्थी द्वारा दबाव देकर पट्टा निरस्त करवाने हेतु एवं सम्पत्ति का बंटवारा करने हेतु कहा तो अप्रार्थी सं01 पट्टा निरस्त करवाने से साफ इन्कार हो गया एवं जारी पट्टे की सम्पत्ति को विक्रय किये जाने की धमकी दी गई। ग्राम पंचायत भाण्डारेज का प्रश्नगत आदेश व पट्टा विधि विरूद्ध प्रकिया व नियमों के विपरीत है। ग्राम पंचायत भाण्डारेज ने प्रार्थी के पिता लालचंद के सभी वारिसान को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना व बिना कोई जांच किये बिना व बिना कब्जे व मौके की जांच किये बिना उक्त निर्णय पारित किया गया है। ग्राम पंचायत भाण्डारेज ने कानून की सरासर अवहेलना करके बिना आपत्ति नोटिस निकाले व बिना कोई कानून प्रकिया अपनाये उक्त निर्णय पारित किया गया है। उक्त पट्टे में वर्णित संपत्ति प्रार्थी एवं लालचंद के समस्त वारिसान के संयुक्त कब्जे व संयुक्त स्वामित्व की है। अप्रार्थी संख्या 01 का उक्त पट्टे में वर्णित भूमि एवं उसमं निर्मित मकान से कोई ताल्लुक व वास्ता नहीं है। उक्त मकान व जीने का निर्माण प्रार्थी के पिता ने किया है। अप्रार्थी संख्या 01 को संयुक्त सम्पत्ति का पट्टा लेने का कोई अधिकार नहीं था। उक्त निर्णय व पटटे के खिलाफ पंचायत समिति दौसा में अपील पेश की गई थी, किन्तु उन्होने अपील नहीं ली, इसलिए निगरानी पेश करना आवश्यक हुआ है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत भाण्डारेज द्वारा पारित संकल्प संख्या 05 दिनांक 5.4. 2007 व उक्त संकल्प के तहत अप्रार्थी संख्या 01 को जारी पट्टा निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता गैर निगरानीकार संख्या 01 की बहस में दलील है कि प्रार्थी निगरानीकर्ता द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 गैर निगरानीकर्ता के पक्ष में जारी पट्टा आबादी भूमि का दिनांक 5.4.2007 को चुनौती दी गई है। उल्लेखनीय है कि उक्त विक्रय विलेख दिनांक 5.4.2007 एक रजिस्टर्ड दस्तावेज है, जिसको सिविल न्यायालय द्वारा उद्घोष्णा के वाद से ही निरस्त किया जा सकता है। धारा 97 राजस्थान पंचायत अधिनियम के अंतर्गत एक रजिस्टर्ड दस्तावेज को निरस्त नहीं किया जा सकता है। न्यायालय श्रीमानजी को उक्त निगरानी का श्रवणाधिकार प्राप्त नहीं होने से निगरानी प्रथम दृष्ट्या ही निरस्त योग्य है। धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम व राजस्थान पंचायती राज नियम में यदि ग्राम पंचायत द्वारा किसी व्यक्ति को भूमि आवंटन [illegible] है तो ऐसी स्थिति में संबंधित पंचायत समिति के समक्ष अपील का प्रावधान है [illegible] जिला कलक्टर महोदय के समक्ष धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत [illegible] नहीं है। यदि निगरानीकर्ता गैर निगरानीकर्ता को जारी पट्टे के [illegible] करना चाहता हो तो उसको पंचायत समिति के समक्ष चाराजोही करनी चाहिए [illegible] निगरानीकार द्वारा उक्त निगरानी लगभग 14 वर्ष बाद प्रस्तुत की गई है। निगरानीकर्ता को गैर निगरानीकार संख्या 01 के पक्ष में पट्टा जारी होने की जानकारी प्रारंभ से ही रही है तथा उक्त निगरानी को 14 वर्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:52:46 IST
Reason: SelfAttested

Web Copy - Not Official

.....निरंतर 4 पर

बाद प्रस्तुत करने का कोई उचित कारण भी निगरानीकार द्वारा अपनी निगरानी याचिका में नहीं बताया है। निगरानीकार द्वारा श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत निगरानी में मृतक लालचंद के सभी विधिक वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया गया है। ऐसी सूरत में उक्त निगरानी पक्षकारान के असंयोजन के नुत्फ से पीडित होने के कारण निरस्त योग्य है। निगरानीकार उक्त निगरानी प्रस्तुत करने के लिए व्यथित पक्षकार नहीं है ना ही निगरानीकार द्वारा व्यथित पक्षकार होने के संबंध में कोई अभिवचन अपनी निगरानी में लिये गये है। साथ ही निगरानीकार द्वारा अग्रीव्ड पर्सन होने के संबंध में न्यायालय से अनुमति भी प्राप्त नहीं की गई है। अधिवक्ता गैर निगरानीकार संख्या 01 की ओर से अपने समर्थन मे न्याय निर्णय 1. 2016(2)CJ(Civ.) (Raj.) 1263 2. 2016(2)CJ(Civ.) (Raj.) 1150 3. 2018–19(Supp.) RRT 125 4. 2016(1)CJ(Civ.) (Raj.) 58 5. 2006(2)CDR 1486 (Raj.) 6. 2010(1)DNJ (Raj.) 400 7. 2006(2)CDR 1498 की नजीरें भी प्रस्तुत की जाकर निगरानी खारिज की जाने की इस्तदुआ की है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधिवक्ता गैर निगरानीकार संख्या 02 की बहस में दलील है कि निगरानीकार द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष निगरानी पट्टा जारी होने के 14 वर्ष बाद प्रस्तुत की गई है। विलंब से निगरानी प्रस्तुत किये जाने का कोई युक्तियुक्त कारण भी निगरानी में अंकित नहीं किया गया है। उक्त जारी पट्टे की जानकारी निगरानीकार को शुरु से ही थी मात्र झूँठे आधारों पर गैर निगरानीकार सं0 1 को हैरान व परेशान करने की गरज से यह निगरानी पेश की गई है जो सारहीन है। साथ ही अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा यह भी दलील दी गई कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा जो कि एक पंजीकृत दस्तावेज है जिसको न्यायालय श्रीमान को श्रवणाधिकार नहीं भी नहीं है। निगरानीकार को सक्षम पंचायत समिति में ग्राम पंचायत से पट्टा जारी होने पर अपील की जानी चाहिए थी। अतः निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका मय हर्जा खर्चा निरस्त फरमाई जावे।

अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावलीं का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि ग्राम पंचायत, भाण्डारेज पंचायत समिति दौसा द्वारा अप्रार्थी सं0 एक मुरारीलाल के पक्ष में पट्टा संख्या 14 दिनांक 5.4.2007 को जारी कर किया गया है। उक्त पट्टे का पंजीयन उप पंजीयक दौसा द्वारा दिनांक 24.11.2020 को पंजीबद्ध किया गया है। निगरानीकार जो कि गैर निगरानीकार का सगा भाई है, को ग्राम पंचायत भांडारेज द्वारा जारी पट्टा दिनांक 15.11.2006 की जानकारी दिनांक 13.5.2020 को लगभग 14 वर्ष की लम्बी अवधि के बाद निगरानीकार को जानकारी होना संदेहास्पद है। 14 वर्ष बाद निगरानी प्रस्तुत किये जाने का कोई युक्तियुक्त कारण भी स्पष्ट नहीं किया है। अधिवक्ता गैर निगरानीकार सं0 1 द्वारा अपनी बहस में उठाये गये बिंदु से हम सहमत है कि कानूनी रुप से जब ग्राम पंचायत द्वारा विधि विरुद्ध पट्टा जारी कर दिया गया तो उनको नियमानुसार प्रथम [illegible] आसन एवं स्थायी समिति पंचायत समिति के समक्ष करने का प्रावधान है, वहाँ की [illegible] थी। अधिवक्ता निगरानीकार द्वारा निगरानी में अंकित किया है [illegible] खिलाफ पंचायत समिति दौसा में अपील पेश की गई थी, किन्तु उन्होंने अपील [illegible] पंचायत समिति में अपील पेश करने का कोई प्रमाणिक दस्तावेज अधिवक्ता निगरानीकार द्वारा पेश नहीं किया गया है जिससे इस बात को बल मिलता हो। निगरानीकार को अप्रार्थी संख्या 01 को जारी पट्टे के विरुद्ध कोई आपत्ति थी, तो उन्हें पंचायत समिति के समक्ष किसी प्रकार की कोई आपत्ति की

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:52:46 IST
Reason: SelfAttested

.....निरंतर 5 पर

निगरानी सं0 01/2021

सुनवाई नहीं की, तो न्यायालय हाजा के समक्ष उपस्थित होकर साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता था। निगरानीकर्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय पंचायत समिति में कोई अपील प्रस्तुत किया जाना अवगत नहीं होता है, जिससे निगरानीकर्ता के कथन की पुष्टि होती हो। हम निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज योग्य समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत भाण्डारेज का आदेश/निर्णय दिनांक 5.4.2007 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो ।

(कमर चौधरी)
जिला कलक्टर, दौसा
जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 07 सितम्बर 2022 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमर चौधरी)
जिला कलक्टर, दौसा
जिला कलक्टर, दौसा

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:52:46 IST
Reason: SelfAttested